राजेश बिंदल से पहले जे.

शिव राज और अन्य-याचिकाकर्ता

बनाम

कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय-प्रतिवादी सीडब्ल्यूपीनं. 2012 का 7363

अप्रैल 3,2013

भारत का संविधान, 1950 - कला। 226 - नियमितीकरण - याचिकाकर्ताओं की सेवाएं समाप्त कर दी गईं - श्रम न्यायालय ने बहाली का आदेश दिया - विश्वविद्यालय की रिट खारिज कर दी - याचिकाकर्ताओं के बाद नियुक्त व्यक्तियों को 1.10.2003 की नीति के अनुसार नियमित किया गया - बाद में नीति वापस ले ली गईं - याचिकाकर्ताओं के दावे पर विचार नहीं किया गया - सिविल रिट याचिका दायर की गईं याचिकाकर्ता नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं - विश्वविद्यालय ने जवाब में तर्क दिया कि नीति वापस ले ली गईं थी और अस्तित्व में नहीं थी - सीडब्ल्यूपी की अनुमित दी गईं - माना गया, क्योंकि याचिकाकर्ताओं को सेवा की निरंतरता के साथ बहाल किया गया था, उन्हें कटऑफ तिथि पर सेवा में माना जाएगा - बाद में नीति को वापस लेना कोई परिणाम नहीं.

माना गया कि, द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 1.10.2003 के अनुसार हरियाणा सरकार, जिसे विश्वविद्यालय द्वारा दैनिक रूप से अपनाया गया था वे वेतनभोगी कर्मचारी, जिन्होंने 30.9.2003 को तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली थी और उस तिथि को सेवा में थे, उन्हें आसानी से नियमित किया जाना था, वे योग्यताएं पूरी करते थे और रिक्त पदों पर नियुक्त किए जाते थे। यहां याचिकाकर्ताओं को क्रमशः 7.4.2000, 7.4.2000 और 9.7.1997 को नियुक्त किया गया था। उपरोक्त नीति में तय की गई कटौती पर याचिकाकर्ताओं ने तीन साल की सेवा पूरी कर

ली थी। यह विवादित नहीं है कि याचिकाकर्ता अन्यथा योग्य हैं; नियमितीकरण के लिए उनकी आसानी पर उस नीति के अनुसार

विचार नहीं किया गया था, क्योंकि उस तिथि तक वे सेवा में नहीं थे और उनकी छंटनी की गई थी। अंततः उनकी छंटनी को ख़राब माना गया और उन्हें निरंतरता के साथ सेवा में वापस बहाल करने का निर्देश दिया गया। परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ताओं को पॉलिसी में निर्धारित कट-ऑफ तिथि पर सेवा में माना जाएगा।

(पैरा 9)

आगे कहा कि, मेरी उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, की अस्वीकृति याचिकाकर्ताओं को इस आधार पर नियमितीकरण में आसानी देना कि वे कट-ऑफ तिथि पर प्रेषक में नहीं थे, गलत है। ;उसी को अलग रखा जाना चाहिए। तदनुसार आदेश दिया गया। ;याचिकाकर्ताओं की आसान शर्तों को नीति दिनांक 1.10.2003 में निर्धारित कट-ऑफ तिथि पर सेवा में मानते हुए विचार करने योग्य है। जहां तक याचिकाकर्ताओं की आसानी का सवाल है, बाद में पॉलिसी वापस लेने का भी कोई परिणाम नहीं होगा, क्योंकि उनके मामलों पर बिना किसी गलती के संबंधित समय पर विचार नहीं किया जा सका; याचिकाकर्ताओं की सेवा से बर्खास्तगी को उचित माना गया। खराब। (पैरा 10)

याचिकाकर्ताओं की ओर से के. मलिक, वरिष्ठ अधिवक्ता और किरण रथसीसी, अधिवक्ता हैं।

क्षितिज शर्मा, सहायक महाधिवक्ता, हरियाणा।

एस. सी. सिब्बल, वरिष्ठ वकील और वी. एस. राणा, विश्वविद्यालय के वकील। राजेश बिंदल जे.

- (1) यह आदेश 2010 के सीडब्ल्यूपी नंबर 2169 और 9667 और 2012 के 7363 का निपटान करेगा, क्योंकि इसमें कानून और तथ्यों के सामान्य प्रश्न शामिल हैं।
- (2) याचिकाओं में प्रार्थना है कि उत्तरदाताओं को नीतिगत निर्णय दिनांक 1.10.2003 के आलोक में याचिकाकर्ताओं के नियमितीकरण के दावे पर विचार करने का निर्देश दिया जाए।
- (3) याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने तथ्यों का हवाला देते हुए

2012 के सीडब्ल्यूपी नंबर 7363 में प्रस्तुत किया गया कि यहां याचिकाकर्ताओं को क्रमशः 7.4.2000 (याचिकाकर्ता नंबर 1), 7.4.2000 (याचिकाकर्ता नंबर 2) और 9.7.1997 (याचिकाकर्ता नंबर 3) को नियुक्त किया गया था। उनकी सेवाएँ क्रमशः 15.7.2001, 1.2.2003 और 9.10.2002 को समाप्त कर दी गईं। उन्होंने

औद्योगिक विवाद उठाया. मामलों को श्रम न्यायालय में भेजा गया, जहां उन्हें क्रमशः दिनांक 21.12.2005, 6.12.2006 और 1.2.2006 के निर्णयों के माध्यम से सेवा में वापस बहाल करने का निर्देश दिया गया। श्रम न्यायालय के उपरोक्त पुरस्कारों को चुनौती देने वाले कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय (संक्षेप में, 'विश्वविद्यालय') द्वारा दायर सीडब्ल्यूपी संख्या 2006 का 3858, 2007 का 5377 और 2007 का 8562 को मामूली संशोधन के साथ खारिज कर दिया गया था कि याचिकाकर्ताओं ने अपना पिछला वेतन छोड़ दिया था। सेवा में वापस ले लिया गया। याचिकाकर्ताओं की प्रार्थना है कि दिनांक 1.10.2003 की नीति के मद्देनजर उनकी सेवाएं नियमित किये जाने योग्य हैं। यद्यपि जिन व्यक्तियों को याचिकाकर्ताओं के बाद नियुक्त किया गया था, उन्हें उपरोक्त नीति के अनुसार नियमित कर दिया गया था, लेकिन याचिकाकर्ताओं के मामलों पर उस समय विचार नहीं किया गया क्योंकि वे सेवा से बाहर थे। याचिकाकर्ताओं की बर्खास्तगी को रद्द करने और सेवा की निरंतरता के साथ उनकी बहाली के साथ, याचिकाकर्ताओं को सेवा में माना जाएगा और वे तीन साल की सेवा की शर्त को पूरा करेंगे, जैसा कि नीति दिनांक 1.10.2003 में परिकल्पित है, इसलिए, याचिकाकर्ताओं की सेवाओं को नियमित न करने का विश्वविद्यालय का रुख पूरी तरह से अवैध है। भले ही बाद में पॉलिसी वापस ले ली गई हो, याचिकाकर्ताओं के मामले हैं

उस समय लागू नीति के संदर्भ में विचार किए जाने की आवश्यकता थी जब अन्य समान स्थिति वाले व्यक्तियों पर उसके संदर्भ में विचार किया गया था और उन्हें नियमित किया गया था। तर्कों के समर्थन में, दलीप सिंह और अन्य बनाम हिरयाणा राज्य और अन्य (आई), करम वीर सिंह बनाम हिरयाणा राज्य और अन्य, 11.1.2012 को निर्णय और 2012 के एलपीए नंबर 1236--राज्य पर भरोसा किया गया था। हिरयाणा और अन्य बनाम कृष्ण सिंह, 28.8.2012 को निर्णय लिया गया।

- (4) दूसरी ओर, विश्वविद्यालय के विद्वान वकील ने कहा कि याचिकाकर्ताओं की सेवाओं को नियमित करने पर केवल कुछ रिक्त पदों पर ही विचार किया जा सकता है। याचिकाकर्ताओं को दैनिक वेतन भोगी मजदूर के रूप में नियुक्त किया गया था। विवि में कर्मी का कोई पद नहीं है. उनकी नियुक्त किसी रिक्त पद पर नहीं की गयी थी. उन्होंने कभी चपरासी के पद पर काम नहीं किया. रिट याचिका देर से दायर की गई है क्योंकि उन्होंने इसे 0) 1999(1) आरएसजे 722, सीडब्ल्यूपी संख्या 5 848 2011 के रिट याचिका के फैसले के लगभग छह साल बाद दायर किया है, जहां श्रम न्यायालय के फैसले को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा जिन निर्णयों पर भरोसा करने की मांग की गई है, वे आसानी के तथ्यों पर लागू नहीं होते हैं। 'जिन व्यक्तियों को दिनांक 1.10.2003 की नीति के अनुसार नियमित किया गया था, वे कुछ रिक्त पदों पर काम कर रहे थे, इसलिए, याचिकाकर्ता नियमित होने के हकदार नहीं हैं।
- (5) विश्वविद्यालय के विद्वान वकील द्वारा उठाए गए तर्कों के जवाब में, याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि अब विश्वविद्यालय के विद्वान वकील द्वारा उठाया जा रहा तर्क उसकी सहजता के विपरीत है क्योंकि उत्तर में रुख यह है कि अब कोई पॉलिसी नहीं है और दिनांक 1.10.2003 की पॉलिसी वापस ले ली गई है, ऐसे में याचिकाकर्ताओं को नियमित नहीं किया जा सकता।
- (6) मैंने पक्षों के विद्वान वकील को सुना और पेपर बुक का अवलोकन किया।

(7) रिकॉर्ड पर निर्विवाद तथ्य यह है कि याचिकाकर्ताओं को क्रमशः 7.4.2000 (याचिकाकर्ता संख्या 1), 7.4.2000 (याचिकाकर्ता संख्या 2) और 9.7.1997 (याचिकाकर्ता संख्या 3) को नियुक्त किया गया था। उनकी सेवाएँ क्रमशः

15.7.2001, 1.2.2003 और 9.10.2002 को समाप्त कर दी गईं। उन्होंने औद्योगिक विवाद उठाया। मामले को श्रम न्यायालय में भेजा गया, जहां उन्हें क्रमशः 21.12.2005, 6.12.2006 और 1.2.2006 के पुरस्कारों के माध्यम से सेवा में वापस बहाल करने का निर्देश दिया गया। श्रम न्यायालय के उपरोक्त पुरस्कारों को चुनौती देने वाली विश्वविद्यालय द्वारा दायर सीडब्ल्यूपी संख्या 2006 की 3858, 2007 की 5377 और 2007 की 8562 को मामूली संशोधन के साथ खारिज कर दिया गया था जिसे याचिकाकर्ताओं ने छोड़ दिया था। सेवा में वापस लेने के बाद उनका बकाया वेतन।

(8) जैसा कि इस अदालत द्वारा पारित आदेश से स्पष्ट है, याचिकाकर्ताओं को निरंतरता के साथ सेवा में वापस बहाल करने का निर्देश देने वाले श्रम न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा गया। चूंकि याचिकाकर्ताओं ने पिछला वेतन छोड़ने पर सहमति व्यक्त की थी, इसलिए श्रम न्यायालय के पुरस्कारों के केवल उस हिस्से को संशोधित किया गया था। तब से याचिकाकर्ता काम कर रहे हैं।

(9) हरियाणा सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 1.10.2003 के अनुसार, जिसे विश्वविद्यालय द्वारा अपनाया गया था, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, जिन्होंने 30.9.2003 को तीन साल की सेवा पूरी कर ली थी और उस तारीख को सेवा में थे। आसानी से नियमित होने के लिए उन्होंने योग्यता वाले स्थानों को पूरा किया और उन्हें रिक्त पदों पर नियुक्त किया गया। यहां याचिकाकर्ताओं को क्रमशः 7.4.2000, 7.4.2000 और 9.7.1997 को नियुक्त किया गया था। उपरोक्त नीति में निर्धारित अंतिम तिथि पर, याचिकाकर्ताओं ने तीन साल की सेवा पूरी कर ली थी। इसमें कोई विवाद नहीं है कि याचिकाकर्ता अन्यथा योग्य हैं।

नियमितीकरण के लिए उनकी आसानी को उनकी नीति के तहत नहीं माना गया क्योंकि उस तारीख तक वे सेवा में नहीं थे और उनकी छंटनी की गई थी। अंततः उनकी छंटनी को ख़राब माना गया और उन्हें निरंतरता के साथ सेवा में वापस बहाल करने का निर्देश दिया गया। परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ताओं को पॉलिसी में निर्धारित कट-ऑन तारीख पर सेवा में माना जाएगा। दलीप सिंह और कृष्ण सिंह के मामले में इस अदालत ने यही कहा था (सुप्रा)। इसमें भी कोई विवाद नहीं है

कुछ व्यक्ति, जिन्हें याचिकाकर्ताओं की दैनिक वेतन पर नियुक्ति के बाद नियुक्त किया गया था, को नियमित कर दिया गया क्योंकि उन्होंने कट-ऑफ तिथि पर तीन साल की सेवा पूरी कर ली थी और उस तिथि पर सेवा में थे। याचिकाकर्ताओं को निश्चित रूप से समान व्यवहार करने का अधिकार है क्योंकि उनके पक्ष में पारित श्रम न्यायालय के फैसले के अनुसार उन्हें उस तिथि पर सेवा में माना जाएगा, जिसे इस न्यायालय ने बरकरार रखा था। (10) मेरी उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, याचिकाकर्ताओं के मामलों को नियमितीकरण के लिए इस आधार पर खारिज करना कि वे कट-ऑफ तिथि पर सेवा में नहीं थे, गलत है। वही अलग रखे जाने योग्य है। तदनुसार आदेश दिया गया। याचिकाकर्ताओं की सहजता को नीति दिनांक 1.10.2003 में निर्धारित कट-ऑफ तिथि पर सेवा में माना जाना उचित है। यहां तक कि बाद में पॉलिसी वापस लेने का भी याचिकाकर्ताओं के मामलों के संबंध में कोई परिणाम नहीं होगा, क्योंकि उनकी गलती के बिना प्रासंगिक समय पर उनकी छूट पर विचार नहीं किया जा सकता है। याचिकाकर्ताओं को सेवा से बर्खास्त करने को गलत ठहराया गया।

(11) यह अदालत उस मुद्दे पर नहीं जा रही है जो विश्वविद्यालय के विद्वान वकील द्वारा उठाया गया था कि याचिकाकर्ता चपरासी के रूप में काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि केवल दैनिक वेतन भोगी मजदूर के रूप में काम कर रहे हैं। चूंकि याचिकाकर्ताओं का रुख यह है कि वे विभिन्न आईटीक्रंट शाखाओं में काम कर रहे थे, तथ्य यह है

> पंजाब राज्य और अन्य एम. सुखविंदर सिंह और अन्य (सूर्य कांत, जे.)

याचिकाकर्ता तब से काम कर रहे हैं जब वे नियोजित थे और जिस अविध के लिए वे इबोर कोर्ट के पुरस्कारों के अनुसार सेवा से बाहर रहे, उन्हें उस अविध के लिए भी सेवा की निरंतरता प्रदान की गई है। तदनुसार, विश्वविद्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वह किसी भी उपलब्ध समूह 'डी' पद के लिए आईआईएस याचिकाकर्ताओं की आसानी पर विचार करे, जिसके लिए वे पात्र हैं और याचिकाकर्ताओं से कनिष्ठ किसी भी व्यक्ति की सेवाओं को नियमित करने की तारीख से उनकी सेवाओं को नियमित करें। यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त आदेश के परिणामस्वरूप याचिकाकर्ताओं को होने वाले किसी भी मौद्रिक लाभ का भुगतान रिट याचिका दायर करने की तारीख से केवल 38 महीने तक सीमित रहेगा।

(12) रिट याचिकाओं का निपटारा किया जाता है।

जे.एस. मेहंदीरता

अवीकरण :

स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णयर्णवादी के सीमित उपयोग के लि एहैताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सकें और किसी अन्य उद्देश्य के लि ए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णयर्ण का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणित होगा और निष्पादन और कार्यावअन्य के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

> वसुंधरा राव प्रशिक्षुन्यायिक अधिकारी, हरियाणा